

दिल्ली विधान सभा  
समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी ॥  
शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 1996/मार्गशीर्ष 29, 1918 ॥शक॥

संख्या : 305

सदस्य को नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित पुलिस उपायुक्त,  
नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का दिनांक 10.12.1996 का निम्नलिखित संदेश  
प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि श्री दिल्ली विधान सभा के  
माननीय सदस्य श्री सुरारी सिंह पंवर को उनके समर्थकों सहित आज  
अर्थात् दिनांक 10.12.1996 को अपराह्न 1410 बजे पुलिस अधिनियम,  
1978 की धारा 65 के अन्तर्गत पुलिस थाना संसद मार्ग के विधिसम्मत  
निर्देशों को अवज्ञा करने के कारण पुलिस थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली से  
से नज़रबंद किया गया ।

उन्हे उसी दिन अर्थात् दिनांक 10.12.1996 को अपराह्न 1445 बजे  
पुलिस थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया ।"

पी. एन. गुप्ता  
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)

Friday, December 20, 1996/Margshish 29, 1918 (Saka)

No.305

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following message dated 10.12.1996 addressed to Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from the Dy. Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi :-

" I have the honour to inform you that Shri Murari Singh Panwar, Hon'ble member of Legislative Assembly, Delhi alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from Parliament Street, in front of Police Station Parliament Street, New Delhi at 1410 Hrs. today i.e. 10.12.1996.

He was released at 1445 Hrs. from the Police Station Parliament Street, the same day i.e. 10.12.1996."

P.N. GUPTA  
SECRETARY